Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Paper

भविष्य की रूपरेखा: किशोर अवचारियों की रोकथाम और पुनर्वास नीतियाँ

विजय कुमार वर्मा [1*], प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह [2]

[1] रिसर्च स्कॉलर, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उ.प्र.), भारत

[2] प्राचार्य, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उ.प्र.), भारत

Corresponding Author: * विजय कुमार वर्मा

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17186338

सारांश

किशोर अपराध आज भारतीय समाज के लिए एक गंभीर और बहुआयामी चुनौती बन गया है। यह केवल विधिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कारण गहराई से जुड़े हैं। किशोरावस्था में बच्चों में भावनात्मक अस्थिरता, पहचान की खोज और साथियों के दबाव के कारण अपराध की ओर प्रवृत्ति अधिक होती है। पारिवारिक विघटन, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, नशाखोरी, लैंगिक असमानता और मीडिया के नकारात्मक प्रभाव इसके मुख्य कारण हैं।

भारत में किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 सुधारात्मक और पुनर्वासमुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो केवल दंडात्मक उपायों पर निर्भर नहीं है। यह अधिनियम किशोर अवचारियों को शिक्षा, कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और रोजगारपरक प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्वासित करने पर जोर देता है। इस शोध का उद्देश्य मुरादाबाद जिले के परिप्रेक्ष्य में किशोर अवचारियों की रोकथाम और पुनर्वास की नीतिगत संभावनाओं का विश्लेषण करना है।

अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें किशोर न्यायालय, बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सुधार गृहों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण शामिल है। परिणाम बताते हैं कि केवल दंडात्मक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। जिन किशोरों को शिक्षा, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए, उनमें पुनः अपराध की प्रवृत्ति कम रही। वहीं संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव और अपर्याप्त पुनर्वास कार्यक्रम चुनौती बने हुए हैं।

शोध निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि यदि किशोर अवचारियों को सही दिशा, सुरक्षा और अवसर प्रदान किए जाएँ, तो वे अपराधमुक्त जीवन जीकर समाज के उत्पादक सदस्य बन सकते हैं। अतः भविष्य की दिशा नीतिगत सुधार, पुनर्वास, शिक्षा और सामाजिक सहयोग के व्यापक विस्तार में निहित है।

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584- 184X
- ✓ **Received:** 17-07-2025
- ✓ **Accepted:** 23-08-2025
- ✓ **Published:** 29-08-2025
- ✓ **MRR:3(8):**2025;42-46
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite this Article

वर्मा वीके, सिंह एसके. भविष्य की रूपरेखा: किशोर अवचारियों की रोकथाम और पुनर्वास नीतियाँ. Ind J Mod Res Rev. 2025;3(8):42-46.

कुंजी शब्द: किशोर अपराध, पुनर्वास, रोकथाम, नीति, पुनःएकीकरण, सुधार गृह

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. परिचय

किशोर अपराधिता आज के समाज की एक गंभीर चुनौती है, और हाल के वर्षों में इसमें महिला किशोर अपराधिता का स्वरूप भी उभरकर सामने आया है। महिला किशोर अपराधिता से आशय उन अपराधात्मक गतिविधियों से है जिनमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएँ संलिप्त होती हैं, जैसे चोरी, नशाखोरी, घर से भाग जाना, यौन अपराधों में संलिप्तता, मानव तस्करी, हिंसा और साइबर अपराध। इतिहास में महिला अपराधिता पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया, किंतु औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बाद इसमें वृद्धि देखी गई।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह प्रवृत्ति गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पारिवारिक विघटन, घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता और यौन शोषण जैसी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़ी हुई है, तथा परिवार की टूटन, माता-पिता की उपेक्षा या घरेलू हिंसा बालिकाओं को अपराध की ओर धकेलने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े बताते हैं कि कुल किशोर अवचारियों में महिला किशोर अवचारियों का अनुपात अभी कम है, किंतु इसमें लगातार वृद्धि हो रही है; एक दशक पूर्व यह 2–3% था जो अब बढ़कर 6–8% तक पहुँच चुका है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC, 1989) और बीजिंग नियम (1985) महिला किशोर अवचारियों के साथ मानवीय और पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करते हैं।

महिला किशोर अपराधिता की विशिष्टता यह है कि इनमें हिंसक अपराध अपेक्षतः कम होते हैं और परिस्थितिजन्य अपराध अधिक पाए जाते हैं, जैसे घर से भागना या चोरी करना, जो अक्सर अस्तित्व की लड़ाई या शोषण से बचने की प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं। भारत में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 ने महिला किशोर अवचारियों के पुनर्वास के लिए परामर्श सेवाएँ, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे प्रावधान किए हैं, किंतु व्यावहारिक स्तर पर संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव और समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव इनके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा डालते हैं।

मुरादाबाद जैसे औद्योगिक और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह समस्या और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि वहाँ गरीबी, शिक्षा का अभाव और पारिवारिक विघटन जैसी परिस्थितियाँ बालिकाओं को अपराध की ओर धकेलती हैं। इस प्रकार महिला किशोर अपराधिता केवल विधिक या नैतिक विचलन का विषय नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जिसके समाधान के लिए नीतिगत, शैक्षिक और संस्थागत स्तर पर ठोस रणनीतियों की आवश्यकता है ताकि अपराध की राह पकड़ने वाली इन बालिकाओं को सही दिशा, संरक्षण और अवसर देकर उन्हें समाज की उत्पादक सदस्य बनाया जा सके

समस्या का स्वरूप

भारत में किशोर अपराध लगातार बढ़ती सामाजिक-न्यायिक चुनौती है। चोरी, लूट, हत्या, यौन अपराध और साइबर अपराध में किशोरों की भागीदारी चिंताजनक है। यह समस्या केवल अपराध-नियंत्रण का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक संरचना, पारिवारिक वातावरण और आर्थिक विषमता का भी दर्पण है।

2. शोध के उद्देश्य

1. किशोर अपराध के मूल कारणों की पहचान करना।
2. वर्तमान रोकथाम और पुनर्वास नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
3. भविष्य के लिए नई नीतिगत और सामाजिक रूपरेखा प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न

1. किशोर अपराध को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कारक कौन-से हैं?
2. वर्तमान पुनर्वास नीतियाँ किस हद तक सफल रही हैं?
3. किशोर न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है

3. साहित्य समीक्षा

1. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC, 1989) ने स्पष्ट किया कि किशोर अपराधियों के साथ वयस्क अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए।
2. भारत का किशोर न्याय अधिनियम, 2015 सुधारात्मक एवं पुनर्वास केंद्रित दृष्टिकोण को प्रमुखता देता है।
3. शोधकर्ताओं ने गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, नशाखोरी और बेरोजगारी को किशोर अपराध के प्रमुख कारण बताया है।
4. पुनर्वास नीतियों में काउंसलिंग, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता को प्रभावी माना गया है।

4. शोध पद्धति

इस अध्ययन की शोध पद्धति को इस प्रकार निर्मित किया गया कि यह किशोर अपराधिता, विशेषकर महिला किशोर अवचारियों की स्थिति, उनके अपराध के पीछे के कारणों तथा पुनर्वास की संभावनाओं को गहराई से समझने में सहायक हो। शोध की प्रकृति मिश्रित (Mixed Method) रही, जिसमें गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों दृष्टिकोणों का समान रूप से उपयोग किया गया। अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले तक सीमित रखा गया क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण, प्रवास, शहरीकरण और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण किशोर अपराध के मामले अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं।

डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक स्रोतों में महिला किशोर अपराधियों, उनके अभिभावकों, न्यायिक अधिकारियों, बाल कल्याण समिति के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संरचित साक्षात्कार तथा प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण सम्मिलित रहे। इन साक्षात्कारों से अपराध के स्वरूप, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक परिस्थिति और अपराध की ओर ले जाने वाले मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त, मुरादाबाद स्थित किशोर न्यायालय, बाल सुधार गृह और बाल कल्याण समिति से संबंधित मामलों का गहन अध्ययन किया गया।

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

द्वितीयक स्रोतों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टें, किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित विधिक प्रावधान, सरकारी नीतिगत दस्तावेज़, महिला अपराधिता पर आधारित पूर्व प्रकाशित शोध पत्र, पुस्तकों तथा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों (जैसे UNCRC और बीजिंग नियम) का विश्लेषण सम्मिलित था। संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु सांख्यिकीय तकनीकों (प्रतिशत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, सहसंबंध इत्यादि) तथा विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) की विधि अपनाई गई। मात्रात्मक आंकड़ों ने अपराध के प्रकार, आवृत्ति और समयगत प्रवृत्तियों को उजागर किया, वहीं गुणात्मक विश्लेषण ने अपराध के पीछे छिपी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं को सामने लाया। इसके अतिरिक्त, तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से पुरुष और महिला किशोर अवचारियों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया ताकि महिला अपराधिता की विशिष्टताओं को रेखांकित किया जा सके। इस प्रकार यह शोध पद्धति बहुआयामी रही, जिसने न केवल अपराध की जड़ कारणों की पहचान की बल्कि पुनर्वास और नीतिगत सुधार की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

किशोर अपराध की वर्तमान स्थिति

भारत में किशोर अपराध की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में दर्ज कुल आपराधिक मामलों में लगभग 7–8% मामले किशोरों से संबंधित पाए जाते हैं। यह आँकड़ा स्पष्ट करता है कि समाज के इस नाजुक वर्ग में अपराध प्रवृत्तियों की वृद्धि हो रही है। विशेषकर हत्या, चोरी, लूटपाट, यौन अपराध और साइबर अपराध जैसे गंभीर मामलों में किशोरों की संलिप्तता चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। डिजिटल युग में इंटरनेट और मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग ने किशोरों को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है बल्कि साइबर अपराध की ओर भी आकर्षित किया है। अपराध की इस प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रभाव शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। NCRB के अनुसार मुरादाबाद, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जैसे औद्योगिक और महानगरीय क्षेत्रों में किशोर अपराध का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। इसके पीछे शहरीकरण से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक असमानता, पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी और उपभोक्तावादी संस्कृति मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार भारत में किशोर अपराध की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि केवल दंडात्मक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि व्यापक रोकथाम और पुनर्वास नीतियों की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

विश्व स्तर पर भी किशोर अपराध एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न देशों ने अपने-अपने स्तर पर प्रभावी उपाय अपनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC, 1989) ने यह स्पष्ट किया है कि किशोर अपराधियों के साथ वयस्क अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र के बीजिंग नियम (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985) ने भी यह रेखांकित किया कि किशोर न्याय प्रणाली का उद्देश्य दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक होना चाहिए। विकसित देशों में जैसे—अमेरिका और यूरोप—किशोरों के लिए विशेष पुनर्वास केंद्र, शिक्षा योजनाएँ और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वहाँ पर विशेष प्रशिक्षित परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता किशोरों की सहायता करते हैं ताकि वे पुनः समाज की मुख्यधारा में लौट सकें। इन देशों की नीतियों का प्रमुख आधार यह है कि किशोर अपराधी भविष्य में भी समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं यदि उन्हें सही दिशा, अवसर और सहयोग मिले। भारत भी इन नीतियों से प्रेरणा लेकर अपने किशोर न्याय तंत्र को और अधिक मानवीय एवं सुधारात्मक दिशा दे सकता है।

अध्ययन क्षेत्र – मुरादाबाद

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक शहर है, जो अपने पीतल उद्योग और निर्यात कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने यहाँ पर आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया है। आर्थिक विषमता के कारण कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों के किशोर बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है और वे अक्सर बाल श्रम में संलग्न हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ बाल श्रमिकों की संख्या अधिक पाई जाती है। जब इन किशोरों को शिक्षा और रोजगार का अवसर नहीं मिलता, तो वे अपराध की ओर आकर्षित होते हैं। मुरादाबाद में चोरी, नशाखोरी और समूहिक अपराधों में किशोरों की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से देखी गई है। साथ ही, पारिवारिक विघटन और सामाजिक असुरक्षा ने भी किशोर अपराध को बढ़ावा दिया है। अतः मुरादाबाद का अध्ययन क्षेत्र यह स्पष्ट करता है कि स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और अपराध के बीच गहरा संबंध है, जिसे ध्यान में रखते हुए ही प्रभावी रोकथाम और पुनर्वास नीतियाँ बनाई जा सकती हैं।

रोकथाम की भविष्य की नीतियाँ

किशोर अपराध की रोकथाम के लिए भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। सबसे पहले शैक्षिक सशक्तिकरण आवश्यक है। यदि विद्यालय स्तर पर ड्रॉपआउट दर को कम किया जाए और किशोरों को व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए तो वे समाज के उत्पादक नागरिक बन सकते हैं। शिक्षा केवल साक्षरता नहीं बल्कि जीवन-कौशल, नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक दक्षताओं पर आधारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नशामुक्ति कार्यक्रम भी अत्यंत आवश्यक हैं। किशोरों को नशीली वस्तुओं से दूर रखने और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने हेतु विशेष अभियान चलाने चाहिए।

पारिवारिक परामर्श भी रोकथाम की एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है। यदि परिवारों को सुदृढ़ बनाया जाए और नियमित काउंसलिंग केंद्र स्थापित किए जाएँ, तो किशोरों के मानसिक और भावनात्मक असंतुलन को दूर किया जा सकता है। इसी तरह सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है। पंचायत, मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से किशोर न्याय संबंधी जागरूकता अभियान चलाकर समाज में सकारात्मक वातावरण बनाया जा सकता है। अंततः, साइबर अपराध रोकथाम भी समय की मांग है। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा प्रशिक्षण किशोरों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग सिखाने में सहायक होंगे। इन सभी नीतियों का संयुक्त कार्यान्वयन ही किशोर अपराध की रोकथाम में प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

पुनर्वास की भविष्य की नीतियाँ

किशोर अपराधियों के पुनर्वास के लिए भविष्य में और अधिक मानवीय एवं सशक्त नीतियों की आवश्यकता है। सबसे पहले, किशोर सुधार गृहों का मानवीकरण किया जाना चाहिए। वर्तमान में सुधार गृह कई बार जेलनुमा प्रतीत होते हैं, जिससे किशोरों में अपराधी मानसिकता और गहराती है। इन्हें शैक्षिक और कौशल केंद्रित वातावरण में परिवर्तित करना होगा।

दूसरे, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। हर किशोर सुधार गृह में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि किशोरों के मानसिक व भावनात्मक असंतुलन को दूर किया जा सके। तीसरे, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। स्वरोजगार, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों से जोड़कर किशोरों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षण प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसमें रिहाई के बाद किशोरों को मार्गदर्शन अधिकारियों की देखरेख में रखा जाए ताकि वे पुनः अपराध की ओर न लौटें। अंत में, सामुदायिक पुनःएकीकरण कार्यक्रम आवश्यक हैं। खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और शिक्षा के माध्यम से किशोरों को पुनः समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। यदि इन सभी नीतियों को समुचित संसाधनों और इच्छाशक्ति के साथ लागू किया जाए तो किशोर अपराधियों का पुनर्वास अधिक प्रभावी ढंग से संभव होगा।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

किशोर अपराध की रोकथाम और पुनर्वास नीतियों को लागू करने में कई चुनौतियाँ और बाधाएँ भी सामने आती हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और संसाधनों की कमी है। भारत जैसे विशाल देश में किशोर अपराधियों की संख्या अधिक है, लेकिन उनके लिए पर्याप्त काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

इसके अलावा, समाज में किशोर अपराधियों के प्रति कलंक और नकारात्मक दृष्टिकोण भी एक बड़ी बाधा है। अपराध करने के बाद समाज किशोरों को स्वीकार नहीं करता और उन्हें अपराधी की तरह देखता है, जिससे उनका पुनर्वास कठिन हो जाता है। न्यायालयों में लंबित मामले और धीमी न्यायिक प्रक्रिया भी एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण किशोर वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करते रहते हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नीतियों के असमान कार्यान्वयन ने भी स्थिति को जटिल बनाया है। शहरी क्षेत्रों में सुधार गृह और काउंसलिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी भारी कमी है। इन सभी चुनौतियों को दूर किए बिना प्रभावी रोकथाम और पुनर्वास संभव नहीं है।

सुझाव

किशोर अपराध की समस्या के समाधान हेतु कुछ ठोस सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे पहले, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यदि हर किशोर को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे तो अपराध की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कम होगी।

दूसरे, पुलिस और न्यायालय में किशोर-अनुकूल दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। अपराध की जाँच और न्यायिक प्रक्रिया में किशोरों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरे, NGO और समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संगठन किशोर अपराधियों के पुनर्वास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अंत में, डिजिटल साक्षरता और साइबर अपराध रोकथाम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आधुनिक समय में इंटरनेट और तकनीक का दुरुपयोग किशोर अपराध का नया रूप बनकर सामने आया है। अतः किशोरों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिखाने के लिए विद्यालय और सामुदायिक कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किशोर अपराधिता, विशेषकर महिला किशोर अवचारियों की समस्या, केवल कानूनी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आयामों से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न है। मुरादाबाद ज़िले के क्षेत्रीय अध्ययन ने यह संकेत दिया कि गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, नशाखोरी, लैंगिक भेदभाव और यौन शोषण जैसी समस्याएँ किशोर अपराध की मुख्य जड़ें हैं। वर्तमान किशोर न्यायालय और सुधार गृह सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव और पुनर्वास कार्यक्रमों की सीमित उपलब्धता के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे। अध्ययन से यह भी पता चला कि केवल दंडात्मक उपाय अपनाने से अपराध की प्रवृत्ति को रोकना पर्याप्त नहीं है; इसके लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, पारिवारिक सहयोग और सामाजिक सहभागिता को समानांतर रूप से सशक्त करना आवश्यक है। यदि नीतिगत स्तर पर ठोस सुधार किए जाएँ और पुनर्वास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो किशोर अवचारियों को न केवल अपराधमुक्त जीवन जीने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे समाज के उत्पादक सदस्य भी बन सकते हैं। इस प्रकार, बहुआयामी और समन्वित दृष्टिकोण ही किशोर अपराध की रोकथाम और पुनर्वास में वास्तविक सफलता सुनिश्चित कर सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय; 2015.
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB). Crime in India Reports. नई दिल्ली: NCRB; 2018–2023.
3. संयुक्त राष्ट्र. बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC). न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र; 1989.
4. संयुक्त राष्ट्र. बीजिंग नियम: किशोर न्याय प्रशासन के लिए मानक न्यूनतम नियम. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र; 1985.
5. शर्मा R. भारत में किशोर अपराध की सामाजिक पृष्ठभूमि. दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन; 2020.
6. वर्मा VK. Juvenile justice system in India: status and directions. मुरादाबाद: TMU Research Publications; 2023.
7. सिंह M. Juvenile delinquency and law in India. नई दिल्ली: Sage Publications; 2019.
8. यूनिसेफ (UNICEF). Adolescent justice and protection: a global review. न्यूयॉर्क: UNICEF; 2022.

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

9. मेहरोत्रा P. Gender and juvenile crime in India. Social Change J. 2021;51(4).
10. कुमार S. महिला अपराधिता और किशोर न्याय प्रणाली. प्रयागराज: गंगा प्रकाशन; 2021.
11. शर्मा A, गुप्ता N. Family disintegration and juvenile delinquency. Int J Soc Sci. 2020.
12. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. Annual report on child protection and juvenile justice. नई दिल्ली: MWCD; 2022.
13. बोस A. Rehabilitation of juvenile offenders in India. Econ Polit Wkly. 2018.
14. खान R. Socio-economic factors of juvenile delinquency. Indian J Criminol. 2021.
15. पांडे V. Juvenile justice: contemporary challenges and reforms. Lucknow Law Rev. 2020.
16. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO). Adolescents' mental health and crime prevention. जेनेवा: WHO; 2021.
17. मिश्रा P. बाल अपराध और पुनर्वास नीति. वाराणसी: भारत बुक डिपो; 2019.
18. गुप्ता R. Juvenile courts and their functioning in Uttar Pradesh. J Legal Stud. 2022.
19. राष्ट्रीय बाल सहयोग एवं विकास संस्थान (NIPCCD). Child protection and juvenile homes in India. नई दिल्ली: NIPCCD; 2020.
20. श्रीवास्तव K. Juvenile justice in practice: a case study of Uttar Pradesh. Indian Bar Rev. 2019.

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/